

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
सेंट ज्यूड्स स्कूल,
रायबरेली रोड, मौहन लाल गंज,
लखनऊ

पत्रांक / बेसिक-एस0टी0 / 5605

/ 2016-17, दिनांक: 30.12.15

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) तथा नियमावली 2011 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति एवं मण्डलीय मान्यता समिति, लखनऊ के निर्देश से, मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ आपके विद्यालय को शिक्षा सत्र 2016-17 से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्री प्राइमरी से जूँहाठ स्कूल (नर्सरी से कक्षा-8) स्तर तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैं:-

1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता दिवक्षित नहीं है।

2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009(उपांबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010(उपांबंध 2) तथा नियमावली 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।

3- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम कीधारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:

(1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(3) शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(4) शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकारित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

(5) अधिनियम के उपांबंध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना,

(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकारित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है

2/2016

और,

(8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचार्य के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।

विद्यालय परिसर का क्षेत्र- 17681.92 वर्ग मी०

कुल निर्भित क्षेत्रफल- 1568.83 वर्ग मी०

कीड़ास्थल का क्षेत्रफल- उपलब्ध है

कक्षाओं की संख्या- 10

प्राध्यापक- सह कार्यालय- सह भंडार के लिए कक्ष- 03

बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय- पृथक- पृथक है।

पैदल सुविधा- उपलब्ध है।

मिड डे मील पकाने के लिए रसोई- उपलब्ध है।

बाधा रहित पहुँच- प्राप्त है।

अध्यापन पठन सामग्री/ कीड़ा खेलकूद उपस्करण/ पुस्तकालय की उपलब्धता- उपलब्ध है।

9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर- मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा- स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी प्राधिकारी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12- स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए।

प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक: 278 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस

कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/ स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17- शासनादेश दिनांक: 08-05-2013 में दिए गए समर्त आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

प्रवीण मणि त्रिपाठी
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ।

पृ० सं० एवं तिथि- उक्तवत्।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1- जिलाधिकारी, लखनऊ।

2- सचिव, उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।

3- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) षष्ठ मण्डल, लखनऊ।

4- जिला समाज/ जिला अल्पसंख्यक/ जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, लखनऊ।

5- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।

6- कार्यालय गार्ड फाइज़।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ



महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

सेवा-साइट: www.upefaspo.com

सम्पर्क विवर: अधिकारी सम्पर्क नं. 226 007

ई-मेल: upefaspo@gmail.com

फ़ोन: 0522-4024440, 2780384, 2781128



प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक,

स्कूल शिक्षा, उ०प्र०

लखनऊ।

सेवा में,

श्री मनीष गर्ग,

संयुक्त सचिव,

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार,

शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

पत्रांक: रा०प०नि०/ **5654** /2021-22/लखनऊ

दिनांक: **१५ फरवरी, 2022**

विषय- एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को नवीन यू-डायस कोड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राज्य स्तर से विभिन्न वर्षों में मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के सम्बन्ध में नवीन यू-डायस कोड आवंटित किये जाने के अनुरोध अग्रसारित किये गये हैं। एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के अनुरोधों को भारत सरकार के स्तर से यह अंकित करते हुए वापस कर दिया गया है कि "कृपया अपडेटेड मान्यता प्रमाण-पत्र अपलोड कर प्रेषित करें।"

उक्त प्रेषित किये गये अनुरोधों में वास्तविक शैक्षिक संस्थाएं ही अग्रसारित की गयी हैं। प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन वैसिक शिक्षा अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08 मई, 2013 (प्रति संलग्न) के दिनु- 15 में उल्लिखित निर्देश "प्रथमदृष्ट्या निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपचारिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है" के अनुसार मान्यता के सम्बन्ध में अपडेटेड प्रमाण-पत्र निर्गत करने का प्राविधान नहीं है। आगामी सत्र से मात्र पिछले एक वर्ष में मान्यता प्राप्त अथवा नवीन संचालित शासकीय संस्थाओं के यू-डायस कोड आवंटन हेतु ही अनुरोध पत्र प्रेषित एवं स्वीकृत किए जाएंगे। इस सम्बन्ध में समस्त जनपदों को निर्देश प्रेषित कर दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्व के त्रुटिवश/समुचित प्रचार-प्रसार के अभाव में यू-डायस कोड आवंटन का अनुरोध न करने वाले विद्यालयों को राज्य स्तर से अग्रसारित अनुरोधों के क्रम में वर्तमान सत्र में यू-डायस कोड आवंटित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उक्तवत्

भवदीया,

(अनामिका सिंह)
 राज्य परियोजना निदेशक।

पृष्ठांकन: रा०प०नि०/ **5654** /2021-22/लखनऊ/तददिनांक
 प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि आपके जनपद में संचालित समस्त पात्र शैक्षिक संस्थाओं के यू-डायस कोड के आवंटन की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
- श्री सदा अख्तर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (साइंटर्स-एफ)
- जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

(अनामिका सिंह)
 राज्य परियोजना निदेशक।

प्रेषक

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक: ०४ मई, 2013

विषय: अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) हिन्दी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-442/79-6-2011 दिनांक 19 मई, 2011 एवं आपके पत्र दिनांक 05-12-2012, दिनांक 12-02-2013 एवं दि 30-04-2013 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं तदनुक्रम में राज्य सरकार द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 में विहित प्राविधानों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर मा० उच्चतम् न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दृष्टिगत् रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त पूर्व में उक्त विद्यालयों की मान्यता सम्बन्धी नियमावली एवं विभागीय निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल हिन्दी माध्यम से शिक्षा देने वाले अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) की अस्थायी/स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित मानकों एवं शर्तों के निर्धारण की सहर्ष रचीकृति प्रदान करते हैं :—

- (1) इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त मानक एवं शर्तों को पूर्ण करने वाले विद्यालयों को ही मान्यता प्रदान की जायेगी।
- (2) पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालय भी इन संशोधित मानक/शर्तों को उ0प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 लागू होने की तिथि से 03 वर्ष में अपने आर्थिक स्रोतों से पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठायेंगे अन्यथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्रत्याहरित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। मान्यता प्रत्याहरण के उपरान्त इस प्रकार का विद्यालय किसी भी दशा में संचालित नहीं किया जायेगा।
- (3) विद्यालय में अग्नि शमनयंत्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना होगा।

१८।

(4) विद्यालयों में ज्वलनशील एवं जहरीले पदार्थ छात्र/अध्यापक की पहुँच से दूर सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाय तथा उसका प्रयोग प्रशिक्षित अध्यापकों/कर्मचारियों द्वारा ही किया जाय।

(5) विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा विद्यालय भवन की मजबूती के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी/अभियन्ता से भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप होने का प्रमाण—पत्र प्राप्त किया जायेगा तथा समय—समय पर समीक्षा के अन्तर्गत भी भवन की सुरक्षा का प्रमाण—पत्र प्रबन्धतंत्र को प्रस्तुत करना होगा। विद्यालय भवन की सुरक्षा एवं रख—रखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धतंत्र का होगा। प्राथमिक विद्यालय में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप भवन की गुणवत्ता के संबंध में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, नगर विकास विभाग एवं आर.ई.एस. के जिस अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किया जायेगा उनका विवरण निम्नवत् है :—

1. ग्राउंड फ्लोर पर निर्मित भवन—अवर अभियन्ता
2. एक से अधिक मंजिल के विद्यालय —सहायक अभियन्ता

निरीक्षणकर्ता अधिकारी को यह भी सुनिश्चित कराना होगा कि विद्यालय भवन की छत एवं दीवारों के निर्माण में पूर्ण मजबूती है और भवन में धूप व ठंड से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। कक्षा—कक्ष हवादार एवं रोशनीयुक्त हैं।

एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन की सीढ़ियाँ जो निकास मार्ग के रूप में प्रयुक्त हो रही हों, नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 में निर्धारित मानक के अनुसार बनायी गयी हो, ताकि आकर्षिकता की स्थिति में बच्चों के निकास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

(6) विद्यालय के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा के उपायों के लिए जिला स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति/अग्निशमन अधिकारी के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षित किया जाय ताकि आग लगने की स्थिति अथवा अन्य आकर्षिक आपदा की स्थिति में बच्चों को सुरक्षित तरीके से बचाया जा सके।

(7) नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) की शिक्षा प्रदान करने वाले समस्त अशासकीय विद्यालय स्ववित्त पोषित होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(2) पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संदर्भ में मानक एवं शर्तें

यदि विद्यालय निःशुल्क और अनियार्थ बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के क्रम में उ0प्र0 निःशुल्क और अनियार्थ बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 लागू होने के पूर्व से संचालित है तो उसके द्वारा

निर्धारित प्रारूप पर सूचना सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को तीन माह के अन्दर प्रस्तुत की जायेगी तथा निम्नलिखित मानकों को पूरा करने की अनिवार्यता होगी :—

(क) विद्यालय संचालित करने वाली संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एकट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो।

(ख) विद्यालय किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसियेशन को लाभ पहुँचाने के लिए संचालित नहीं किया जायेगा।

(ग) भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म सम्भाव तथा मानवीय मूल्यों की संप्राप्ति के लिए प्राविधान समितियों तथा समय-समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(घ) विद्यालय के भवनों तथा परिसरों को किसी भी दशा में व्यवसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिए दिन और रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा, परन्तु विद्यालय की सुरक्षा से सम्बन्धित कर्मियों के आवास हेतु छूट रहेगी।

(ड) विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक क्रिया-कलापों के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा। विद्यालय भवन का वाहय रंग सफेद होना चाहिए और अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग-रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।

(च) विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।

(छ) खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा।

(ज) बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय/मण्डलीय/राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विद्यालय से सूचना मांगे जाने पर आवश्यक आख्या एवं सूचनायें निर्देशानुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा निर्देशों का पालन विद्यालयों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(झ) ऐसे विद्यालय जो निर्धारित घोषणा पत्र के द्वारा यह सूचित करते हैं कि उनके द्वारा निर्धारित मानक/शर्तों को पूर्ण कर लिया गया है, उन विद्यालयों का सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 03 माह के अन्दर स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।

(झ) अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर विद्यालय के स्थलीय निरीक्षण की तिथि के 60 दिन के भीतर जिन विद्यालयों द्वारा शर्त पूर्ण कर ली गयी हैं, उनके संदर्भ में इस आशय का आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी कर दिया जायेगा। विवादित मामलों में अपर निदेशक (बेसिक), इलाहाबाद से आदेश प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी।

(ट) सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे विद्यालयों की सूची भी तैयार की जायेगी, जो मान्यता की निर्धारित शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं। ऐसे विद्यालयों को कमियों के सम्बन्ध में सूचित किया जायेगा तथा विद्यालयवार कमियों का विवरण वेबसाइट पर भी प्रसारित किया जायेगा।

कमियों का निराकरण निर्धारित अवधि में सम्बन्धित प्रबन्धतंत्र के द्वारा आवश्यक रूप से कर लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी यदि विद्यालय निर्धारित मानकों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो ००प्र० निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली लागू होने की तिथि से ०३ वर्ष के उपरान्त इस प्रकार के विद्यालयों के संचालन पर रोक लगायी जा सकती है और ऐसे विद्यालयों की मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही भी की जायेगी।

(3) अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) को मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तः—

1—आवेदन की अर्हता

शिक्षा के क्षेत्र में ऊचि रखने वाले व्यक्तियों अथवा किसी विधि मान्य पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा निर्धारित शिक्षा स्तर के विद्यालय मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन कर सकते हैं।

निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा संचालित अशासकीय विद्यालयों को निम्न प्रकार की संरक्षा के रूप में मान्यता प्रदान की जायेगी :—

- (1) नर्सरी विद्यालय—नर्सरी स्तर की दो कक्षायें तथा प्राथमिक स्तर की ५ कक्षायें।
- (2) प्राइमरी विद्यालय—(प्राथमिक स्तर की ५ कक्षायें)।
- (3) उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालक/बालिका) (जूनियर हाईस्कूल स्तर की ३ कक्षायें)।

प्राथमिक स्तर की ०५ कक्षाओं के साथ नर्सरी स्तर की शिक्षा देने के लिये प्रतिदिन होने वाली मॉग को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर की ०५ कक्षाओं के साथ—साथ नर्सरी स्तर की कक्षाओं को मान्यता प्रदान की जा सकती है। इस प्रकार के विद्यालय की मान्यता हेतु अन्य सामान्य शर्तों को पूरा करने के साथ—साथ निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा :—

1. भवन :—विद्यालय सोसाइटी का आवश्यकतानुसार उपयुक्त निजी भवन होने अथवा कम से कम १० वर्ष तक किराये/लीज पर भवन उपलब्ध होने पर मान्यता के लिये विचार किया जा सकता है। किराये का भवन होने की स्थिति में किरायानामा पंजीकृत (रजिस्टर्ड) होना अनिवार्य है।

2. विद्यालय भवन :—मान्यता के लिये प्राथमिक के प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र ०९ वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए, परन्तु कक्षा—कक्ष का क्षेत्रफल १८० वर्ग फीट से कम नहीं होना चाहिए अर्थात् प्रत्येक कक्षा—कक्ष में कम से कम २० बच्चों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जिससे बच्चे कक्ष में शैक्षणिक गतिविधियाँ सुविधापूर्ण ढंग से संचालित कर सकें। विद्यालय में उतने ही छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाय, जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था निर्धारित मानक के अनुसार उपलब्ध हो। विद्यालय में पुस्तकालय एवं वाचनालय भी होना चाहिए।

3. प्रधानाध्यापक, कार्यालय तथा स्टाफ के लिये अलग—अलग कक्ष उपलब्ध होना चाहिए।

4. छात्र/छात्राओं तथा अध्यापक/अध्यापिकाओं के पृथक—पृथक मूत्रालय एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
5. विद्यालय में पीने के रखच्छ (जीवाणु रहित) पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
6. विद्यालय भवन का वाह्य रंग सफेद होना चाहिए।

7. पुस्तकालय, साज—सज्जा एवं उपकरण :—

प्राथमिक विद्यालयों में नर्सरी से कक्षा-5 के लिए छात्रोपयोगी विभिन्न विषयों की पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए। उक्त के अतिरिक्त खेल—कूद का सामान, मानवित्र, विभिन्न शैक्षिक चार्ट तथा नर्सरी कक्षाओं हेतु बच्चों के खिलौने आदि का होना आवश्यक है।

8. क्रीड़ा स्थल :—

खेलकूद के लिये यथासम्भव विद्यालय परिसर में या विद्यालय परिसर के समीप क्रीड़ा स्थल उपलब्ध होना चाहिए जहाँ कबड्डी, बालीवॉल, बैडमिन्टन, बास्केट बॉल, खो—खो आदि जैसे खेलों हेतु निर्धारित स्थान की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जिसका उपयोग विद्यालय के छात्र/छात्राएँ कर सकते हों।

विशेष :—

बालिका विद्यालयों के लिए क्रीड़ा स्थल की छूट दी जा सकती है। इसी प्रकार घनी आबादी वाले नगर क्षेत्र में बालकों के विद्यालयों में जहाँ स्थानाभाव हो, क्रीड़ा स्थल की छूट दी जा सकती है। क्रीड़ा स्थल के अभाव में किसी विद्यालय को भी मान्यता से वंचित नहीं किया जा सकता है।

9. आवेदन शुल्क :— नर्सरी/प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आवेदन शुल्क ₹0 2000/- सम्बन्धित जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा किया जायेगा, जो उनके द्वारा संगत लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

10. विद्यालय में सुरक्षित कोष के रूप में ₹0 5000 (₹0 पाच हजार मात्र) की एन०एस०सी जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से प्लेज़ड होगी।

(4) नर्सरी विद्यालय तथा प्राथमिक विद्यालय की मान्यता प्रदान किये जाने की प्रक्रिया :—

विद्यालयों द्वारा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पारित नियमावली 2011 के साथ संलग्न प्रारूप (संलग्नक-1) पर मान्यता का आवेदन सम्बन्धित संस्था द्वारा इस आदेश में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार करना होगा।

मान्यता समिति

प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता पर निम्नलिखित समिति द्वारा विचार किया जायेगा :—

- | | |
|---|------------|
| 1— सम्बन्धित जिले का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | अध्यक्ष |
| 2— सम्बन्धित जिले का वरिष्ठतम् खण्ड शिक्षा अधिकारी | सदस्य/सचिव |
| 3— सम्बन्धित जिले के प्राचार्य डायट द्वारा नामित प्रबक्ता | सदस्य |

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता हेतु विद्यालय से प्राप्त सूचना एवं स्थलीय निरीक्षण आख्या अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित समस्त प्रपत्र मण्डल स्तर पर गठित मान्यता समिति को प्रेषित की जायेगी तथा समिति के निर्णय के आधार पर सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-2) पर विद्यालय की मान्यता के सम्बन्ध में आदेश जारी किये जायेंगे।

कर्मियों को देय वेतन

मान्यता प्राप्त नर्सरी एवं प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक एवं कर्मचारियों को वेतनमान, महंगाई भत्ते तथा अन्य भत्ते का भुगतान प्रबन्धतंत्र द्वारा अपने स्रोत से किया जायेगा।

मान्यता प्राप्त विद्यालय में परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों को उपयोग किया जायेगा।

शिक्षकों की अर्हता एवं नियुक्ति प्रक्रिया :—

शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता वही होगी जैसा कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन यथासंशोधित) में निहित है तथा भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा शर्ते नियमावली 1975 में प्राविधानित है।

(5) उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल स्तर) की मान्यता हेतु नियम/शर्तेः—

आवेदन करने की अर्हता

शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखने वाले व्यक्तियों/स्वैच्छिक संरथाओं, ट्रस्टों द्वारा अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) संचालित किये जा सकते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) की आवश्यकता पर विचार करते समय यह देखना आवश्यक होगा कि :—

(क) प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय में उसके सुचारू रूप से संचालन के लिए उस विद्यालय के प्रबन्धाधिकरण द्वारा पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे तथा जिन विषयों में अध्यापन के लिए ऐसे विद्यालय को मान्यता दी गई हो उनके लिए बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी।

(ख) मान्यता प्राप्त विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी और न ही पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा। सभी विद्यालयों में राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था की जायेगी।

(ग) मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रबन्धतंत्र का यह भी दायित्व होगा कि वह समय-समय पर निर्गत शासनादेश तथा विभागीय आदेशों का पालन करेगा।

(घ) विद्यालय की प्रबन्ध समिति सोसाइटी राजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा नवीनीकृत हो।

(ङ.) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई अनुभाग न खोला जायेगा और न ही बन्द किया जायेगा, न समाप्त किया जायेगा और न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। किसी भी विद्यालय को शाखा विद्यालय चलाने की अनुमति नहीं होगी।

(च) एक ही संस्था द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक और प्राथमिक/नर्सरी कक्षाओं हेतु अलग-अलग मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

शिक्षा का माध्यम

देवनागिरी लिपि होगी। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ायी जायेगी। विद्यालय में अमान्य पुस्तकों का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा तथा विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश लिया जाना अनिवार्य होगा।

वित्तीय शर्तें

मान्यता की उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त एक मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन भी अनिवार्य होगा।

(क) विद्यालय का संदान ₹0 20,000/- मूल्य की धनराशि का होगा। वह संदान सम्पत्ति अथवा नकद रूप में रखी जा सकती है यथा :-

- (1) नकद धनराशि।
- (2) सरकारी जमानत।
- (3) अचल सम्पत्ति।

टिप्पणी :-

यदि संदान नकद धनराशि अथवा सरकारी जमानत के रूप में हो तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम प्रतिभूत होना चाहिए। अचल सम्पत्ति के विषय में प्रबन्धक अथवा अन्य किसी अधिकारी को जिसे संस्था की ओर से सम्पत्ति के बेचने तथा तदर्थ विधि-पत्र (डीड) लिखने का अधिकार हो, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अनुबन्ध पत्र लिखना आवश्यक होगा कि उक्त सम्पत्ति सकाम अधिकारियों की लिखित आझ्ञा के बिना स्थानान्तरित नहीं की जा सकती।

जायेगी अथवा किसी भी प्रकार प्रतिबन्धित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में एक शपथपत्र भी लिया जायेगा। अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन और उससे होने वाली आय का प्रमाण-पत्र किसी ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए जो तहसीलदार से कम स्तर का न हो। नगरपालिकाओं के क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका के एकजीक्यूटिव ऑफिसर अथवा उप नगर अधिकारी का प्रमाण-पत्र स्वीकार किया जायेगा।

संस्थान द्वारा ₹0 5000/- की धनराशि का एक स्थाई कोष बनाया जायेगा और उसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम प्रतिभूत कर दिया जायेगा। राज्य अथवा केन्द्रीय सरकारी बोर्ड अथवा फौजी आर्डिनेन्स फैक्टरियों द्वारा संचालित किसी भी संस्था को संदान और स्थाई कोष की शर्तों की पूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु ऐसी किसी संस्था को संचालित करने के लिए सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति का प्रस्ताव तथा आवर्तक और अनावर्तक व्यय के लिए आवश्यक प्राविधान होना चाहिए।

(6) मान्यता हेतु आवेदन पत्र दिये जाने की प्रक्रिया :-

(1)-निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र के साथ यथा निर्धारित शुल्क (बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम हो, जिसे सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के संगत लेखाशीर्षक में राजकोष में चालान द्वारा जमा किया जायेगा)।

निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्गत नियमावली 2011 के संलग्नक के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) की मान्यता हेतु आवेदन शुल्क ₹0 3000/- सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा किया जायेगा, जो उनके द्वारा संगत लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(2)-आवेदन पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात् जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उनकी जांच/निरीक्षण की कार्यवाही की जायेगी तथा इस विषय से संबंधित विद्यालयों को भी सूचित किया जायेगा। निरीक्षण हेतु जो अधिकारी विद्यालय का निरीक्षण करने जायेगा, वह यह सुनिश्चित करेगा कि निरीक्षण के समय ग्राम प्रधान/पंचायत सदस्य/प्रतिनिधि उपस्थित हों, जिससे स्थानीय जनता को जानकारी हो सके कि विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण वास्तव में किया गया है। निरीक्षण के समय मान्यता की शर्तों में जो कमियों पायी जायें, उन्हें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्धतंत्र को लिखित रूप से सूचित किया जायेगा। विद्यालय को आपत्तियों सूचित करने के दिनांक के 02 माह के भीतर प्रबन्धाधिकरण को स्वप्रमाणित आपत्ति निवारण आख्या (तीन प्रतियों में) सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्राप्त आख्या का परीक्षण कर अपनी आख्या/संस्तुति मान्यता समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

(7) भारता समिति :-

उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर निम्नलिखित मान्यता समिति विचार करेगी :—

- | | |
|---|--------------|
| (1) मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) | अध्यक्ष |
| (2) सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | सदस्य / सचिव |
| (3) जनपद का वरिष्ठतम् खण्ड शिक्षा अधिकारी | सदस्य |

मान्यता समिति की बैठकें निर्धारित समय सारिणी के अनुसार सम्पन्न होंगी तथा बैठक का कार्यवृत्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा अपने कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा। कार्यवृत्त की प्रतियों सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके आधार पर विद्यालयों की मान्यता आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

(8) मान्यता हेतु भवन की शर्तें :-

- (1) विद्यालय सोसाइटी का आवश्यकतानुसार उपयुक्त निजी भवन होने अथवा कम से कम 10 वर्ष तक किराये/लीज पर भवन उपलब्ध होने पर मान्यता के लिये विचार किया जा सकता है। किराये का भवन होने की स्थिति में किरायानामा पंजीकृत (रजिस्टर्ड) होना अनिवार्य है।
- (2) मान्यता के लिये जूनियर स्तर के प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र ०९ वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए, परन्तु कक्षा-कक्ष का क्षेत्रफल १८० वर्ग फीट से कम नहीं होना चाहिए अर्थात् प्रत्येक कक्षा-कक्ष में कम से कम २० बच्चों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जिससे बच्चों कक्ष में शैक्षणिक गतिविधियों सुविधापूर्ण ढंग से संचालित कर सकें। विद्यालय में उतने ही छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाय, जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था निर्धारित मानक के अनुसार उपलब्ध हो। विद्यालय में पुस्तकालय एवं वाचनालय भी होना चाहिए।
- (3) प्रधानाध्यापक, कार्यालय तथा स्टाफ के लिये अलग-अलग कक्ष उपलब्ध होना चाहिए।
- (4) छात्र/छात्राओं तथा अध्यापक/अध्यापिकाओं के पृथक-पृथक मूलालय एवं शैचालय की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
- (5) विद्यालय में पीने के स्वच्छ (जीवाणु रहित) पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
- (6) विद्यालय भवन का वाह्य रंग सफेद होना चाहिए और अधिकतम् दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग-रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।

साज-सज्जा एवं उपकरण

विद्यालय में छात्र/छात्राओं के नामांकन तथा आयु के अनुसार बैठने के लिए उपयुक्त फर्नीचर तथा अध्यापकों के लिए कुर्सी, मेज उपलब्ध होने चाहिए।

पुस्तकालय

जूनियर स्तर के विद्यालयों में कक्षा-8 तक के लिए छात्रोपयोगी विभिन्न विषयों की पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए। उक्त के अतिरिक्त सामान्य ज्ञान, शिक्षाप्रद पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाओं की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

विज्ञान सामग्री

विद्यालय में पाठ्यक्रमानुसार आवश्यक विज्ञान सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यकतानुसार भौगोलिक नक्शों, ग्लोब, विषय से सम्बन्धित चार्ट उपलब्ध होने चाहिए। टू-इन-वन कैसेट, टी0वी0 आदि की व्यवस्था विद्यालय अपने आर्थिक संसाधनों के दृष्टिंगत कर सकते हैं।

स्टाफ

विद्यालय में निम्न विवरण के अनुसार स्टाफ उपलब्ध होना चाहिए :—

- (1) प्रधानाध्यापक तथा प्रत्येक कक्षा कक्ष हेतु एक शिक्षक, जिसमें एक विज्ञान एवं गणित, सामाजिक अध्ययन तथा भाषा से सम्बन्धित होगा।
- (2) कला शिक्षक, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा एवं कार्यानुभव शिक्षण हेतु एक-एक शिक्षक।
- (3) कोई भी व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह बेसिक शिक्षा परिषद/शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे पदों के लिए निर्दिष्ट शैक्षिक एवं प्रशिक्षण की अर्हताएं न रखता हो।
- (4) शिक्षकों/कर्मचारियों की नियुक्ति में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाईस्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्त) नियमावली 1978 में विहित प्रक्रिया अपनायी जायेगी।
- (5) प्रत्येक 35 छात्र पर एक शिक्षक का अनुपात बनाये रखना अनिवार्य होगा।

शुल्क/फीस

मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं महंगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो अध्यापक/कर्मचारी कल्याणकारी योजना अंशदान वहन करने के लिए पर्याप्त हों। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा महंगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी, वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विद्यालय द्वारा निम्नलिखित मदों में शुल्क लिया जा सकता है :—

- 1— शिक्षण शुल्क, 2— महंगाई शुल्क, 3— विकास शुल्क, 4— बिजली पानी आदि, 5— पुस्तकालय एवं वाचनालय, 6— विज्ञान शुल्क, 7— श्रब्य शुल्क, 8— क्रीड़ा शुल्क, 9— परीक्षा/मूल्यांकन, 10—विद्यालय समारोह/उत्सव, 11— विशेष विषयों की शिक्षा— कम्प्यूटर / संगीत आदि।

नोट :— पंजीकरण शुल्क, भवन शुल्क तथा कैपीटेशन के रूप में कोई फीस विद्यार्थियों से लेना वर्जित होगा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई अनुभाग न खोला जायेगा और न ही बन्द किया जायेगा न

समाप्त किया जायेगा और न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। किसी भी विद्यालय को शाखा विद्यालय चलाने की अनुमति नहीं होगी।

विद्यालय बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-19 एवं अनुसूची में विहित स्तर एवं मानकों को स्थापित रखेगा।

(9) शैक्षिक सत्र 2013-14 की मान्यता प्रदान करने के संबंध में समय सारिणी :-

विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए विद्यालय के प्रबन्धक/सक्षम प्राधिकारी द्वारा संलग्न प्रारूप-1 के अनुसार स्वघोषणा-सहआवेदन पत्र जो सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों में पूर्व से लम्बित हैं, उन आवेदन पत्रों पर समयबद्ध रूप से दिनांक 30 जून, 2013 तक नवीन मान्यता विषयक शर्तों के आलोक में मान्यता के संबंध में मान्यता समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

नोट:- जिन आवेदित विद्यालयों द्वारा उक्त निर्धारित गाइड लाइन्स का पालन नहीं किया हो, उनके आवेदन पर आगामी शैक्षिक सत्रों की मान्यता हेतु कमियों को पूरा किये जाने के उपरान्त मान्यता समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

(10) शैक्षिक सत्र 2014-15 एवं आसामी शैक्षिक सत्रों की मान्यता हेतु आवेदन करने और मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में समय सारिणी:-

विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए विद्यालय के प्रबन्धक/सक्षम प्राधिकारी द्वारा संलग्न प्रारूप-1 के अनुसार स्वघोषणा-सहआवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में निम्न समय सारिणी में इंगित अवधि में प्राप्त कराया जायेगा तथा मान्यता सम्बन्धी आवेदन पत्र का निरस्तारण समय-सारिणी में इंगित तिथियों के अनुसार किया जायेगा:-

1.	सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना।	01 जुलाई से 31 अगस्त
2.	प्राप्त हुए आवेदन पत्रों के बारे सर्व साधारण को जानकारी दिया जाना।	सितम्बर के प्रथम सप्ताह
3.	आवेदन करने वाले विद्यालय का निरीक्षण	15 सितम्बर से 31 अक्टूबर
4.	सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संस्था को कमी/शर्त पूरी करने हेतु सूचित किया जाना।	नवम्बर से दिसम्बर
5.	आवेदन कर्ताओं के प्रत्यावेदन स्वीकार करना।	जनवरी-फरवरी
6.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत शिक्षाधिकारी द्वारा विद्यालय का स्थलीय निरीक्षणोपरान्त आवेदन पत्र की संस्तुति पर मान्यता समिति द्वारा निर्णय लेना।	मार्च
7.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता आदेश जारी करना।	31 मई तक

नोट:- मान्यता समिति की बैठकें वर्ष में दो बार नवम्बर एवं मार्च में आहूत की जायेंगी। निरीक्षण में निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले विद्यालयों को नवम्बर माह में आहूत बैठक में परीक्षणोपरान्त निर्णय लेकर मान्यता समिति मान्यता आदेश दिसम्बर में निर्गत किया जायेगा तथा निर्धारित मानक एवं शर्तों को पूरा नहीं करने वाले विद्यालयों को कमियों को पूरा कराकर मार्च में आहूत बैठक में परीक्षणोपरान्त निर्णय लेकर 31 मई तक मान्यता आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

(11) मान्यता हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-

शैक्षिक सत्र 2014-15 से मान्यता हेतु आवेदन की प्रक्रिया आन लाईन होगी, जिसके सम्बन्ध में वेब साइट का पता तथा आवेदन प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत विश्लेषण सृजक से निर्गत किये जायेंगे।

(12) विद्यालय की मान्यता का प्रत्याहरण :-

जहाँ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वयं या किसी व्यक्ति से प्राप्त प्रत्यावेदन के अधार पर अभिलिखित कारणों से संतुष्ट हैं कि मान्यता प्रदत्त किसी विद्यालय द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया गया है अथवा अनुसूची में निर्धारित मानकों एवं स्तर को पूर्ण करने में घूंट की गई है तो उसके द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-
(क)- विद्यालय की मान्यता की जिस शर्त का उल्लंघन किया गया है उसे स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए विद्यालय को एक माह के अंदर स्पष्टीकरण सम्बन्धी नोटिस निर्गत किया जायेगा।

(ख)- निर्धारित अवधि में गदि विद्यालय का स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होता है तो सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आगामी 07 दिन की अवधि में एक त्रिस्तरीय समिति, जिसमें शासकीय प्रतिनिधियों के साथ एक शिक्षाविद भी सम्मिलित होगा, के द्वारा विद्यालय का निरीक्षण कराया जायेगा। समिति विद्यालय की जाँच कर, विद्यालय की मान्यता जारी रखने या समाप्त करने की संस्तुति के साथ अपनी आख्या निरीक्षण तिथि के एक (01) माह की अवधि में सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगी। उपरोक्त समिति का गठन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं जिलाधिकारी को समिति के सदस्यों को परिवर्तित करने का अधिकार होगा।

(ग)- समिति की आख्या के अधार पर सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित विद्यालय को पत्र भेजकर उन्हें अपना स्पष्टीकरण देने हेतु 30 दिन का अवसर देगा एवं प्राप्त स्पष्टीकरण का परीक्षण करके अथवा स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में अभिलेखों के अधार पर सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मान्यता प्रत्याहरण के सम्बन्ध में 45 दिन के अंदर मान्यता समिति का निर्णय प्राप्त कर लेंगे।

(घ)- मान्यता समिति के निर्णय प्राप्ति के सात दिन के अंदर विद्यालय को प्रदत्त मान्यता रद्द करने का मुखरित आदेश (Speaking order) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा। मान्यता रद्द होने का

आदेश तत्काल अनुवर्ती शैक्षिक सत्र से लागू होगा तथा उक्त आदेश में ही उन पड़ोसी विद्यालयों के नाम भी इंगित किये जायेंगे जहाँ मान्यता प्रत्याहरित विद्यालयों के बच्चों को नामांकित कराया जायेगा। उक्त आदेश को सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी को भी अवगत कराया जायेगा तथा सर्व साधारण की जानकारी हेतु स्थानीय एवं राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी तथा इसे वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

(13) प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया मान्यता के उक्त नियमों/शर्तों से सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराते हुए मान्यता प्रदान किये जाने हेतु समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त

भूषीय,

५८

(सुनील कुमार)

प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1—समरत मण्डलायुवत्, उत्तर प्रदेश।
- 2—समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3—अपर शिक्षा निदेशक (बै०), उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- 4—सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 5—समरत मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश।
- 6—समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7—शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
- 8—गार्ड फाईल।

१८।

आज्ञा से,

(ममता श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

आदेश तत्काल अनुबर्ती शैक्षिक सत्र से लागू होगा तथा उक्त आदेश में ही उन पड़ोसी विद्यालयों के नाम भी इंगित किये जायेंगे जहाँ मान्यता प्रत्याहरित विद्यालयों के बच्चों को नामांकित कराया जायेगा। उक्त आदेश को सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी को भी अवगत कराया जायेगा तथा सर्व साधारण की जानकारी हेतु स्थानीय एवं राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी तथा इसे वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

(13) प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया मान्यता के उक्त नियमों/शर्तों से सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराते हुए मान्यता प्रदान किये जाने हेतु समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1—समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2—समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3—अपर शिक्षा निदेशक (बै०), उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय,

इलाहाबाद।

- 4—सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 5—समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश।
- 6—समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7—शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
- 8—गार्ड फाईल।

मेर।

आज्ञा से,

मेर। ४/५/१३
(ममता श्रीवारत्न)
संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट

प्रारूप-1

विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए स्वास्थ्योषण-सह-आवेदन
(नियम-15 का उपनियम (1) देखिए)

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
(जिला और संघ राज्यक्षेत्र का नाम)

महोदय,

मैं एतद्वारा निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों और मानकों के अनुपालन के संबंध में एक रक्खोषणा और.....(विद्यालय का नाम)
को.....वर्ष 20.....विद्यालय के प्रारंभ से मान्यता प्रदान करने के लिए
विहित प्रारूप में एक आवेदन अंग्रेजित करता हूँ।

अनुलिप्त :

मददीर

स्थान :

लारीख :

7.	विद्यालय के भवन या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थलों का उपयोग केवल शिक्षा और वौशत विकास के प्रयोजन के लिए किया जा रहा है।	
8.	विद्यालय का कुल क्षेत्रफल.	
9.	विद्यालय का निर्मित क्षेत्र	

घ. नामांकन प्राप्तियां

	कक्षा	संख्या की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या
1.	पूर्व-प्राथमिक		
2.	1 से 5		
3.	6 से 8		

ड. अवसरण के बारे और रवच्छता संबंधी दराएं

	कक्षा	संख्या	औसत आकार
1.	कक्षा		
2.	कार्यालय कक्ष-सह-भेड़ार कक्ष-सह-प्राच्यापक कक्ष		
3.	स्टोइ-सह-भेड़ार		

च. अन्य प्रस्तुविधाएं

1.	विद्यार्थी अन्य प्रस्तुविधाओं तक बाधारहित पहुंच प्राप्त है।	
2.	अध्यापन पठन सामग्री (सूची संलग्न करें)	
3.	खेलकूद और क्रीड़ा उपस्कर (सूची संलग्न करें)	
4.	पुस्तकालय में पुस्तकों की सुधारा • पुस्तकों (पुस्तकों की संख्या) • पंचिकार्ण/समाचार-पत्र	
5.	पेयजल गुविधाओं की किस्म और संख्या	
6.	रवच्छता संबंधी दराएं (i) उच्च सी और मूत्रालयों की किस्म (ii) बालकों के लिए पृथक् मूत्रालयों/शीच गृहों की संख्या (iii) बालिकाओं के लिए पृथक् मूत्रालयों/शीच गृहों की संख्या	

४. अध्यापन कमेचारिवृद्धि की विविधियां

1.	अध्यापक का नाम (1)	पिता/पति या पत्नी का नाम (2)	जन्म की तारीख (3)
	शैक्षिक अहंता (4)	वृत्तिक अहंताएं (5)	अध्यापन संबंधी अनुभव (6)
	सौंपी गई कक्षा (7)	नियुक्ति की तारीख (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)
2.	प्राथमिक और माध्यमिक दराएं में अध्यापन (प्रत्येक अध्यापक के बारे पृथक् रज से)		

अध्यापक का नाम (1)	पिता/पति/या पत्नी का नाम (2)	जन्म की तारीख (3)
शैक्षिक अहता (4)	वृत्तिक अहताएं (5)	अध्यापन संबंधी अनुभव (6)
सौंपी गई कक्षा (7)	नियुक्ति की तारीख (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)
३. प्रधान अध्यापक		
अध्यापक का नाम (1)	पिता/पत्नी का नाम (2)	जन्म की तारीख (3)
शैक्षिक अहता (4)	वृत्तिक अहताएं (5)	अध्यापन संबंधी अनुभव (6)
सौंपी गई कक्षा (7)	नियुक्ति की तारीख (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)

ज. पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम

१.	प्रत्येक कक्षा में अपनाइ गई पाठ्यक्रमी और पाठ्यक्रम के व्यारि (कक्षा VIII तक)
२.	विद्यार्थियों के निर्धारण की पद्धति
३.	क्या विद्यालय के विद्यार्थियों से कक्षा ८ तक कोई बोड परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं जाती है?

(अ) प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय ने इस आवेदन के साथ जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के इस डाटा के प्रत्येक प्रलूप में भी सूचना प्रस्तुत की है।

(ब) प्रमाणित किया जाता है कि समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रामिदृत नियंत्री अधिकारी द्वारा विद्यालय का कभी भी नियंत्रण किया जा सकता है।

(द) प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय यह वचनबंध करता है कि वह ऐसी रिपोर्ट और सूचनाएं प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित प्राधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करेंगे, जो मानसिक की शर्तों के संतुत अनुपत्ति को सुनिश्चित करने के लिए या विद्यालय के कार्यकारण में कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

(इ) प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संग्रह विद्यालय के अधिकारी किसी भी समय जिला शिक्षा अधिकारी या समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा नियंत्रण के लिए उपलब्ध होगा और विद्यालय ऐसी ज़रूरी सूचना प्रस्तुत करेगा, जो केन्द्रीय सरकार या स्थानीय निकाय या प्रशासन की व्याख्यान्यता, संसद/प्रधानमंत्री/नगरपालिका के प्रति जराकी वाध्यताओं का निवेदन द्वारा में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो।

५/-

अध्यक्ष/प्रबंधक,
प्रबंध समिति
विद्यालय

प्रतीक

ग्राम

ई-मेल

फोन

फैक्स

संख्याएँ

प्रबंधक

तारीख

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रस्ताव प्रस्तावना करता है।

महोदय/महोदया

आपके तारीख के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्तरी पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं (विद्यालय का नाम, पते सहित) को तारीख से तारीख तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा से कक्षा तक के लिए अनिवार्य मान्यता प्रदान करने की समूचना देता हूँ।

उपरोक्त पंजीयी निम्नलिखित शर्तों के पूर्ण दिले जाने के उपर्यन्त है:

1. मान्यता ली. मंजूरी, विस्तारणीय नहीं है और उसमें विस्तीर्णी रूप से कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई वापत्ता विविहित नहीं है।

2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाधि 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाधि 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षों में नारों की संख्या के सम्बन्धित तरफ आस-पड़ोस के कुनौनोदारों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रदेश प्रादान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4. ऐप्प. 3 में निर्दिष्ट बालकों के उपर्युक्त विद्यालय को अधिनियम, ली. धूमा 12 की उपाधि (2) के उपबंधों के अनुसार गतिपूर्ति किया जाएगा तो ऐसी गतिपूर्ति विद्यालय को उपर्युक्त विद्यालय एक दूर्धक बैंक खाता खोगा।

5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या भ्रष्टकर्ता को किसी संस्थानीय प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा। विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का समूल न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित चुनिशियत करेगा :

- प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय ने उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्ष में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कारित नहीं किया जाएगा;
- किसी भी बालक को लारीक देड या मानसिक उल्लीङ्घन के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

- (iii) प्राथमिक शिक्षा परी होने तक किसी भी बालक से कोई बोडी-परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
- (iv) प्राथमिक शिक्षा परी करने वाले प्रत्येक बालक द्वारा नियम 25 के अधीन अधिकारियों किए गए अनुसार एक प्रसारण-पत्र प्रदान किया जाएगा ; इसका उल्लेख नियम 25 के अधीन किए गए अनुसार एक प्रसारण-पत्र प्रदान किया जाएगा ;
- (v) अधिनियम के उपर्युक्त के अनुसार नि:शक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा ।
- (vi) अध्यापकों की भर्ती जपिलिम, की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकारियत न्यूनतम अहताओं के साथ वर्गी जारी है । परंतु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अहताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अहताएं अर्जित करेंगे ।
- (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है ; और
- (viii) अध्यापक उपर्युक्त को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे ।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकारियत पाठ्यरचना के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा ।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19(2) से यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के सानकों और संनियंमों वर्गे बनाए रखेगा । अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

कुल निर्धारित क्षेत्रफल का विवरण निम्नानुसार है :-
क्रीड़ा-रथल का क्षेत्रफल

कक्षाओं की संख्या

प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-लालगार के लिए कक्ष

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक् शौचालय

प्रेयजल सुविधा

मिड-डे मील पकाने के लिए लॉर्ड

बाधारहित पहुंच

अध्यापक पठन सालग्री/ब्रीड़ा खेलकूद उपरकरो/पुरतकालय की उपलब्धता

विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से लॉर्ड गैर्डनर्स्टाड्यास्ट कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी ।

10. विद्यालय भवनों या अन्य सारचनाओं या क्रीड़ा-रथल का प्रयोग केरबंग शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है ।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्त्वाप्य प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गोटर किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है ।

12. रेक्कुल को किसी व्यस्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है ।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउटेट द्वारा सोरेंसों द्वारा चाहिए और उसके द्वारा प्रभागित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण निर्णयों के अनुसार दीया जिए जाने चाहिए । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए ।

14. आपके विद्यालय को उन्नीति गतिशील कोर्स संचारक है। कृपया इसे नोट करते और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक्रम का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और छूटगा प्रस्तुत करते हैं जो राष्ट्र-सभाय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकारी स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकारण की कमियों को दूर करने पर लिए जाएँ।

16. सोसाइटी के अंगस्ट्रीकरण के बाबीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17. सोसाइटी के अंगस्ट्रीकरण के अनुसार अन्य कोई याति।

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी